न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—154 / 2023

प्रार्थी:—

दौलाराम पुत्र पाबुराम जाति सुथार निवासी सुथारो का वास,कुसीप तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड शुद्धि अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :—

1. **श्री हीराचंद सुथार अधिवक्ता प्रार्थी**

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 02.05.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 592, 593, 464, 452, 586, 589, 610, 611, 590, 591, 1023, 453, 1189, 307,354,355,356,443 व 508 रकबा क्रमशः 0.2186, 0.0162, 4.5730, 0.4856, 1.3193,0.7689,5.3338,0.9308,0.7608,3.1889,1.3517,1.4275,3.5855,0.6799,2.4281, 0.4046, 2.1206,0.4694,13.168 हैक्टयर भूमि ग्राम कुसीप में तथा खसरा संख्या 802 व 880 रकबा 2.9218 व 1.8777 हैक्टयर भूमि ग्राम भीमगोडा तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,जन आधार कार्ड ड्राईविंग लाईसेंस आदि में उसका वास्तविक नाम ''दौलाराम पुत्र पाबुराम'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम '' दौलाराम पुत्र पाबुराम '' के स्थान पर ''दोटाराम पुत्र पाबू'' लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.05.10 10:58:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर [illegible] प्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक [illegible] दिनांक 15.03.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी [illegible]वेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड,मतदाता परिचय पत्र व ग्राम पंचायत भीमगोडा व कुसीप का प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम दौलाराम पुत्र पाबूराम है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम '' दौलाराम पुत्र पाबूराम '' के स्थान पर ''दोटाराम पुत्र पाबु'' लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड,राशनकार्ड,जन आधार कार्ड,मतदाता परिचय पत्र,ड्राईविंग लाईसेंस,पेनकार्ड तथा ग्राम पंचायत कुसीप व ग्राम पंचायत भीमगोडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम दौलाराम पुत्र पाबुराम दर्ज है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम दोटाराम पुत्र पाबु दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम दौलाराम पुत्र पाबुराम होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कुसीप तहसील सिवाना की खसरा संख्या 592, 593, 464, 452, 586, 589, 610, 611, 590, 591,1023, 453, 1189, 307, 354,355,356,443 व 508 रकबा क्रमशः 0.2186,0.0162, 4.5730,0.4856,1.3193,0.7689,5.3338,0.9308,0.7608,3.1889,1.3517,1.4275,3.5855, 0.6799,2.4281,0.4046,2.1206,0.4694,13.168 हैक्टयर भूमि तथा ग्राम भीमगोडा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 802 व 880 रकबा 2.9218 व 1.8777 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ''दोटाराम पुत्र पाबू के स्थान पर ''दौलाराम पुत्र पाबुराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 02.05.2024 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.05.10 13:58:03 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)